प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के रक्षा पेंशन वितरण प्रणाली की समीक्षा के परिणाम समाविष्ट हैं।

यह प्रतिवेदन रक्षा पेंशन वितरण के मुख्य अंशधारकों जैसे रक्षा मंत्रालय का रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारी और पेंशन वितरण एजेंसियां जैसे बैंक, रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय, राज्य कोषागार और डाकघरों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित है। इसके अलावा, लेखापरीक्षित सत्वों से प्राप्त डाटा का आई टी टूल्स का प्रयोग करते हुए किए गए विश्लेषण के परिणाम भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।